(वाद सं0.-5734/16)

08.07.2020

परिवादी, अशोक कुमार, के द्वारा आयोग के समक्ष दिये गये आवेदन पर संचिका पुनः उपस्थापित की गई।

परिवादी द्वारा दिये गये संचिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि परिवादी के आवेदन पर पुलिस अधीक्षक, मुंगेर से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। पुलिस अधीक्षक, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **"दियारा टीका रामपुर पंचायत मे प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आना निश्चित ही रहा है। जिसके कारण जमीन की सीमा रेखा एवं झाड़ी–झूड़ी बालू से ढक जाता है। और दियारा का सीमाकरण भी नहीं हुआ है और सर्वे भी सरकारी तौर पर नही हो पाया है । जिस कारण यह समस्या किसानो लधु हो या वृहद आते ही रहता है। वर्तमान मे जांचोपरान्त पाया गया है कि दोनो ही पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। ऐतिहातिक तौर पर दोनो पक्षो के विरूद्ध धारा 107 द0प्र0स0 के तहत निराधात्मक कार्रवाई किया गया है।"**

तत्पष्चात् परिवादी को पुलिस अधीक्षक, मुंगेर के प्रतिवेदन पर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत की गई। लेकिन परिवादी उपस्थित नहीं हुए।

फलतः आयोग द्वारा दिनांक 17.10.2017 को प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त कर दिया गया। पुनः परिवादी की ओर से प्रसंगाधीन मामले को पुनर्जीवित करने हेतु आवेदन दिया गया है।

परिवादी द्वारा पुनः दिये गये अपने आवेदन मे ऐसा कोई नवीन तथ्य उजागर नहीं किया गया है कि जिससे कि आयोग द्वारा अपने पूर्व पारित आदेश पर पुनर्विचार किया जाना महशुस हो।

अतः उक्त के आलोक में परिवादी की ओर से दाखिल पुनर्विलोकन याचिका को अस्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

सहायक निबंधक